कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1164 /अमरोहा/19948/2016, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 25, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : अमरोहा में बदायूँ–बिजनौर मार्ग (NH-51) के किमी0 113.100 की दायीं पटरी पर ग्राम–निजामपुर शर्की के खसरा सं0–79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 (संशोधित 0.075028 हे0) संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/45/2017/एफ0सी0/69, दिनांक 08.08.2017, उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–145/14–2–2017–800(148)/2017, दिनांक रहित।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव की प्रतियाँ शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने की कार्यवाही प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी। उक्त के कम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–1202/14–1, दिनांक 12.10.17 द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कर 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति का संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक 12.10.17 एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकःप्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

25/10

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।